भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(पीएण्डए)II-2014/आरएस-09 नई दिल्ली, दिनांक: 10.03.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
पूर्व रेलवे,
कोलकाता.

(ध्यानाकर्षण: श्री पी. गोस्वामी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय)

विषय: गुड्स ड्राइवरों को देय दर के समान टॉवर वैगन ड्राइवरों को रनिंग भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: रेलवे का दिनांक 24.06.2016 और 13.062014 का पत्र सं. पीबी/इलेक्ट/ऑप्शन/टीडब्ल्यूडी।

कृपया अपने रेलवे के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या टावर वैगन ड्राइवर, गुड्स ड्राइवर के समान रनिंग भत्ता और 'विश्राम भंग भत्ता' पाने के हकदार हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा इस मामले पर बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 10.04.1991 और 29.04.1991 के पत्र सं. ई(पीएण्डए)II/78/आरएस-11 के अनुसार गुड्स ड्राइवरों के समान ही टीडब्ल्यूडी को 'विश्राम भंग भत्ते' सहित रनिंग भत्ते का भुगतान किया जाए।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक स्था. (पीएण्डए)-II
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें/पीयूएस

AJ OFCL-PAYMENT OF RUNNING ALLOWANCE

31/03/17

c/c
Plz issue
31/3/17

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)II-2014/RS-09 **New Delhi, dated: 10.03.2017**

The General Manager (P),
Eastern Railway,
Kolkata.

(Kind Attn: Sh.P. Goswami, Dy. CPO/HQ)

Subject:- Payment of running allowance to Tower Wagon Drivers @ applicable to Goods Drivers – clarification.

Ref: Railway's letter No. PB/Elect/Option/TWD dated 24-06-2016 & 13-06-2014

Please refer to your Railway's letter referred above wherein it was sought whether Tower Wagon Drivers are entitled to get Running Allowance and 'Breach of Rest Allowance' at par with Goods Driver .

In this connection, it is stated that matter was considered in Board in consultation with Finance Dte. of Railway Board and it is clarified that Running Allowance including 'Breach of Rest Allowance' may be paid to TWD at par with Goods Drivers as per Board's letters No.E(P&A)II/78/RS-11 dated 10-04-1991 and 29-04-1991.

Md. Sal. Ahd.

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director Estt. (P&A)-II
Railway Board.

Copy to: GM(P)s, all Indian Railways/PUs.

O/C

P/2-issue
15/3/17

16/03/17